

## ॥ सूचना प्रकाशन ॥

वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2023-24 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है :-

क्रं.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 28.11.2023 से 30.12.2023 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 15.12.2023 से 20.01.2024 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 15.12.2023 से 24.01.2024 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं draft proposal अथवा sanction order lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट :-

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें।
2. सत्र 2023-24 से विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु किये गये आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. (OTP) के माध्यम से किया जाना है। विद्यार्थी आधार नंबर पर पंजीकृत मोबाईल नंबर की प्रविष्टि आवेदन करते समय करना सुनिश्चित करें।

  
सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा

सूचना पटल पर



29.11.2023



कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा  
(आदिवासी विकास शाखा)

कार्यालय 07856252441 फ़ैक्स 07856252441 e-mail-actd.dantewada@gov.in

क्रमांक/1993/आ.वि./आ.ला.पो.मै.छ./2023-24  
प्रति,

दन्तेवाड़ा दिनांक-29.11.2023


जिला जनसंपर्क अधिकारी  
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

- विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) वर्ष 2023-24 की ऑनलाईन पंजीयन/स्वीकृति संबंधी सूचना प्रकाशन जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बाबत।
- संदर्भ :- आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा. वि.वि. अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रं./आ.ला.पो.मै. छ./162/2023-24/9490/ नवा रायपुर दिनांक 28/11/2023.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत लेख है कि संलग्न सूचना प्रकाशन जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिससे जिले में अध्ययनरत (छ.ग. के निवासी) जो शासकीय/अशासकीय आई.टी.आई., महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन/स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सकें।


संलग्न :- विज्ञापित


  
सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा


पृ. क्रमांक/1993/आ.वि./आ.ला.पो.मै.छ./2023-24  
प्रतिलिपि :-

दन्तेवाड़ा दिनांक-29.11.2023

1. आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
4. नोडल अधिकारी, शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ/पालनार्थ।
5. प्राचार्य ..... को सूचनार्थ/पालनार्थ।

  
29/11/2023

  
Red  
29/11

  
सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा